फाइल नं0-71-1001/96/2020

109/2022/1/225277/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 14 अक्टूबर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में स्थित लेबर रूम काम्प्लेक्स में पुराने आपरेशन थियेटर को उच्चीकृत किए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/361, दिनांक 15.09.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में स्थित लेबर रूम काम्प्लेक्स में पुराने आपरेशन थियेटर को उच्चीकृत कर इम्पोर्टेड एन्टी बैक्टीरियल पैनल द्वारा माड्युलर ओ0टी0 में परिवर्तित किए जाने हेतु शासनादेश संख्या-228/2018/2736/71-1-2018-जी-367/2014, दिनॉक 11.09.2018 द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 1674.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 669.63 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-119/2021/1/90231/2021-71-1001/96/2020, दिनॉक 18.08.2021 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 1545.23 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- इस सम्बन्ध में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या/दिनांक	धनराशि रू0 लाख में
1	228/2018/2736/71-1-2018-जी-367/2014, दिनॉक 11.09.2018	669.63
2	128/2021/1/17027/2021-71-1001/96/2020, दिनांक 13.10.2021	386.30
	योग-	1055.93

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनॉक 15.09.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में स्थित लेबर रूम काम्प्लेक्स में पुराने आपरेशन थियेटर को उच्चीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105- 41 -मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु मानक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मद-24-वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1300.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि **रू0 103.0625 लाख (रू0 एक करोड़ तीन लाख छः हजार दौ सौ पचास मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है , किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
8. शासनादेश संख्या-119/2021/90231/2021/71-1001/96/2020 , दिनॉक 18-08-2021 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,03,06,250 (रुपये एक करोड़ तीन लाख छह हजार दो सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054100 मेडिकल कालेज मेरठ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 /2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः- उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7- श्री कुलदीप रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- नियोजन-अनुभाग-4
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।